न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सुखाराम पिण्डेल आरएएस

प्रकरण सं0 : 97/2019

अनवान :

1. छोटुराम पुत्र कालूराम जाति जाट निवासी निनाण तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

– वादी

बनाम

1. कालूराम पुत्र नत्थुराम जाति जाट ढ़िल निवासी निनाण तहसील भादरा।
2. रमेश कुमार पुत्र कालूराम जाति जाट ढ़िल निवासी निनाण तहसील भादरा।
3. सुमन पुत्री कालूराम जाति जाट ढ़िल निवासी निनाण तहसील भादरा।
4. ओरियण्टल बैंक ऑफ कामर्स, शाखा निनाण तहसील भादरा।
5. राजस्थान सरकार जरिऐ तहसीलदार राजस्व भादरा।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक अनुतोष

अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री संदीप गोदारा : **वादी**

वकील श्री प्रभुराम गोदारा : **प्रतिवादी सं0 1 ता 3**

निर्णय **दिनांक :** 05.08.2019

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 12 एएमएस के खाता संख्या 30/24 के मु.न. 28 किला नं. 17, 18 की 0.506 हैक्टर, किला नं. 23, 24 की 0.506 हैक्टर, किला नं. 25/1 की 0.063 हैक्टर, मु.न. 34 के किला नं. 5/2 की 0. 174 हैक्टर, किला नं. 6/2 की 0.166 हैक्टर कुल क्षेत्रफल 1.415 हैक्टर जिसमें से नहरी 1.389 हैक्टर गै.मु. रास्ता 0.026 हैक्टर खातेदारी वादी के पिता कालूराम के नाम से दर्ज है। इसी प्रकार चक 6 जेजीडब्ल्यू के खाता संख्या 40/36 के मु.न. 57 के किला नं. 24, 25 की 0.506 हैक्टर, मु.न. 58 के किला नं. 16 ता 19 की 1.012 हैक्टर, किला नं. 20/2 की 0.114 हैक्टर, किला नं. 21 की 0.240 हैक्टर, किला नं. 22/1 की 0.038 हैक्टर, किला नं. 22/2 की 0.177 हैक्टर, किला नं. 23 की 0.245 हैक्टर कुल 2.332 हैक्टर नहरी खातेदारी कृषि भूमि कालूराम के नाम से दर्ज है। इसी प्रकार चक 11 एएमएस के खाता संख्या 11/39 के मु.न. 37 के किला नं. 1, 2,3 की 0.759 हैक्टर, किला नं. 8, 9, 10 की 0.759 हैक्टर कुल क्षेत्रफल 1.518 हैक्टर नहरी जिसमें से नहरी 1.443 हैक्टर गै.मु.रास्ता 0.075 हैक्टर कृषि भूमि प्रतिवादी सं. 1 कालूराम के नाम से दर्ज है। वादभूमि की जमाबन्दी हाल की प्रमाणित प्रति संलग्न वाद है।

वादी छोटुराम, प्रतिवादी संख्या 1 कालूराम का पुत्र है। प्रतिवादी संख्या 2 व 3 वादी के सगे भाई–बहन है। उक्त वर्णित कृषि भूमि संयुक्त हिन्दु परिवार की जददी जायदाद पैतृक सम्पति है, जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का भी जन्म से हक निहित है। परन्तु प्रतिवादी सं. 1 कालूराम परिवार का कर्ता होने के कारण भूमि तन्हा उसके नाम खातेदारी दर्ज है। राजस्व रिकार्ड में भूमि तन्हा प्रतिवादी सं. 1 के नाम खातेदारी दर्ज रहने से वादी के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। प्रतिवादी सं. 3

सुमन का भी उक्त भूमि में जन्म से हक व हिस्सा निहित है। सुमन शादीशुदा है जो ससूराल में परिवार सहित आबाद है। सुमन की शादी, भात, छुछक आदि में खर्चा वादी, प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने ही किया था। उसी से खुश होकर सूमन ने आज से सवा वर्ष पूर्व होली के रोज घरू बंटवारे में उक्त भूमि में अपना सम्पूर्ण हक व हिस्सा अपने पिता व दोनों भाईयों के नाम बहिस्सा बराबर तर्क कर शुन्य कर लिया है व कब्जा सम्भाल दिया था। वर्तमान में उक्त कृषि भूमि पर वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 ही काश्त करते आ रहे है। इसलिए वाद भूमि में वादी छोटुराम 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 1 कालूराम 1/3 हिस्सा व प्रतिवादी रमेश कुमार 1/3 हिस्सा के अनुसार खातेदार काश्तकार है। इसी अनुसार बाद घोषणा वादी जमाबंदी को दुरूस्त करवाकर उसमें अपना नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज किये जाने के कानूनी अधिकारी है। यही बिनाय मुखास्मत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादीगण व प्रतिवादीगण सं0 1 ता 2 ने अपना ईकबलादावा पेश किया जो बाद तस्दीक सामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी संख्या 3 ने अपना जवाबदावा पेश किया, प्रतिवादी सं0 4 को तर्क किया गया। प्रतिवादी सं0 5 पेरोकारराज ने जबाबदावा पेश किया। जवाबदावा पेश होने के बाद तनकी कायम की गयी।

1. आया कि वाद भूमि चक 12 एएमएस के खाता संख्या 30/24 की कुल 1.415 हैक्टर, इसी प्रकार चक 6 जेजीडब्ल्यू के खाता संख्या 40/36 की कुल 2.332 हैक्टर, इसी प्रकार चक 11 एएमएस के खाता संख्या 11/39 की 1.518 हैक्टर नहरी कृषि भूमि में प्रतिवादी सं. 1 कालूराम कीं बजाऐ वादी 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 1 कालूराम 1/3 हिस्सा एवं प्रतिवादी सं. 1 रमेश कुमार 1/3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित करवाने के अधिकारी है ? **— वादी**
2. आया कि वाद भूमि संयुक्त परिवार की जददी जायदाद व पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी एवं प्रतिवादीगण का जन्म से हक निहित है ? **— वादी**
3. **अनुतोष**

तनकीयात कायम करने के बाद साक्ष्य वादी में पीडब्ल्यु 1 छोटुराम पुत्र कालूराम जाति जाट निवासी निनाण तहसील भादरा के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में जमाबंदी प्रमाणित प्रति चक 12 एएमएस सम्वत 2072–75 खाता संख्या 30/24 प्रदर्श 1, प्रमाणित जमाबन्दी चक 11 एएमएस सम्वत 2074–77 खाता सं0 11/19 प्रदर्श 2, प्रमाणित प्रतिलिपि जमाबन्दी चक 6 जेजीडब्ल्यू सम्वत 2072–75 खाता संख्या 40/36 प्रदर्श 3, प्रमाणित जमाबंदी भू–एकीकरण विभाग प्रदर्श 4, वारिस प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत निनाण प्रदर्श 5, प्रमाणित जमाबन्दी खतौनी चक 11 एएमएस सम्वत 2016 प्रदर्श 6 प्रदर्शित करवाऐ।

बहस वकील उभय पक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अपने दावा के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वादी एवं प्रतिवादीगण सं0 1 ता 3 हिन्दू है तथा हिन्दू उतराधिकार अधिनियम से शासित होते है। वादभूमि पहले वादी के दादा नत्थूराम की खातेदारी हुआ करती थी। नत्थूराम के देहान्त होने पर कर्ता खानदान होने के चलते वादभूमि प्रतिवादी कालूराम ने तन्हा अपने नाम से दर्ज करवा ली। वादभूमि वादी की दादालाई पैत्रक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादभूमि की बाबत वादी एवं प्रतिवादीगण का पारिवारिक सैटलमेन्ट हो गया था जिसमें प्रतिवादी सं0 3 सुमन ने वादभूमि में अपना जो भी हक हिस्सा था वह वादी एवं प्रतिवादी कालूराम व प्रतिवादी रमेश कुमार के पक्ष में बहिस्सा बराबर के

...अधिकारी (राजस्व)–

अनुसार तर्क कर अपना हक हिस्सा शुन्य कर लिया था। इस प्रकार मुताबिक अनुतोष वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत वाद, वादी ने चक 12 एएमएस के खाता संख्या 30/24 की कुल 1.415 हैक्टर, इसी प्रकार चक 6 जेजीडब्ल्यू के खाता संख्या 40/36 की कुल 2.332 हैक्टर, इसी प्रकार चक 11 एएमएस के खाता संख्या 11/39 की 1.518 हैक्टर नहरी कृषि भूमि में प्रतिवादी सं. 1 कालूराम की बजाऐ वादी 1/3 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 1 कालूराम 1/3 हिस्सा एवं प्रतिवादी सं. 1 रमेश कुमार 1/3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित करवाने प्रस्तुत किया है तथा वादी के द्वारा साक्ष्य में जो दस्तावेजात पेश किये गये है उससे साबित होता है कि वादभूमि दादालाई सम्पति है । इस प्रकार वाद वादी साबित होने पर डिक्री किये जाने योग्य है।

अत : वाद वादी साबित होने पर डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा **चक 12 एएमएस के खाता संख्या 30/24** के मु.न. 28 किला नं. 17, 18 की 0.506 हैक्टर, किला नं. 23, 24 की 0.506 हैक्टर, किला नं. 25/1 की 0.063 हैक्टर, मु.न. 34 के किला नं. 5/2 की 0.174 हैक्टर, किला नं. 6/2 की 0.166 हैक्टर कुल क्षेत्रफल 1.415 हैक्टर जिसमें से नहरी 1.389 हैक्टर गै.मु. रास्ता 0.026 हैक्टर खातेदारी वादी के पिता कालूराम के नाम से दर्ज है। इसी प्रकार **चक 6 जेजीडब्ल्यू के खाता संख्या 40/36** के मु.न. 57 के किला नं. 24, 25 की 0.506 हैक्टर, मु.न. 58 के किला नं. 16 ता 19 की 1.012 हैक्टर, किला नं. 20/2 की 0.114 हैक्टर, किला नं. 21 की 0.240 हैक्टर, किला नं. 22/1 की 0.038 हैक्टर, किला नं. 22/2 की 0.177 हैक्टर, किला नं. 23 की 0.245 हैक्टर कुल 2.332 हैक्टर नहरी खातेदारी कृषि भूमि कालूराम के नाम से दर्ज है। इसी प्रकार **चक 11 एएमएस के खाता संख्या 11/39** के मु.न. 37 के किला नं. 1, 2,3 की 0.759 हैक्टर, किला नं. 8, 9, 10 की 0.759 हैक्टर कुल क्षेत्रफल 1.518 हैक्टर नहरी जिसमें से नहरी 1.443 हैक्टर गै.मु.रास्ता 0.075 हैक्टर कृषि भूमि प्रतिवादी सं. 1 कालूराम के नाम से दर्ज है में अकेले प्रतिवादी सं0 1 कालूराम के बजाय वादी छोटुराम व प्रतिवादी सं0 1 कालूराम, प्रतिवादी सं. 2 रमेश कुमार बहिस्सा बराबर 1/3–1/3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है। चूंकि वाद कृषि भूमि में से प्रतिवादीया सं0 3 ने अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 1 व 2 के पक्ष में त्याग दिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्सों पर पंजीयन विभाग को पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व चूंकि कृषि भूमि बैंक के रहन है इसलिए रहन मुक्त होने के उपरान्त वादी छोटुराम व प्रतिवादी सं0 1 कालूराम प्रतिवादी सं. 2 रमेश कुमार के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 05.08.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, भादरा (जिला हनुमानगढ़ (राज०))

5.8.19

(सुखाराम पिण्डेल)
उपखण्डाधिकारी, (राजस्व)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी (जिला हनुमानगढ़)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

2019/00161

<u>पर्चा डिक्री</u>

<u>न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़</u>

<u>पीठासीन अधिकारी : श्री सुखाराम पिण्डेल आरएएस</u>

प्रकरण सं0 : 97/2019

अनवान :

1. छोटुराम पुत्र कालूराम जाति जाट निवासी निनाण तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

– वादी

<u>बनाम</u>

1. कालूराम पुत्र नत्थुराम जाति जाट ढ़िल निवासी निनाण तहसील भादरा।
2. रमेश कुमार पुत्र कालूराम जाति जाट ढ़िल निवासी निनाण तहसील भादरा।
3. सुमन पुत्री कालूराम जाति जाट ढ़िल निवासी निनाण तहसील भादरा।
4. ओरियण्टल बैंक ऑफ कामर्स, शाखा निनाण तहसील भादरा।
5. राजस्थान सरकार जरिऐ तहसीलदार राजस्व भादरा।

– प्रतिवादीगण

<u>दावा बाबत : घोषणात्मक अनुतोष</u>

<u>अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955</u>

आज यह वाद मुझ सुखाराम पिण्डेल उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादी श्री संदीप गोदारा एवं वकील प्रतिवादीगण सं0 1 ता 3 श्री प्रभुराम गोदारा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साबित होने पर डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा **चक 12 एएमएस के खाता संख्या 30/24** के मु.न. 28 किला नं. 17, 18 की 0.506 हैक्टर, किला नं. 23, 24 की 0.506 हैक्टर, किला नं. 25/1 की 0.063 हैक्टर, मु.न. 34 के किला नं. 5/2 की 0.174 हैक्टर, किला नं. 6/2 की 0.166 हैक्टर कुल क्षेत्रफल 1.415 हैक्टर जिसमें से नहरी 1.389 हैक्टर गै.मु. रास्ता 0.026 हैक्टर खातेदारी वादी के पिता कालूराम के नाम से दर्ज है। इसी प्रकार **चक 6 जेजीडब्ल्यू के खाता संख्या 40/36** के मु.न. 57 के किला नं. 24, 25 की 0.506 हैक्टर, मु.न. 58 के किला नं. 16 ता 19 की 1.012 हैक्टर, किला नं. 20/2 की 0.114 हैक्टर, किला नं. 21 की 0.240 हैक्टर, किला नं. 22/1 की 0.038 हैक्टर, किला नं. 22/2 की 0.177 हैक्टर, किला नं. 23 की 0.245 हैक्टर कुल 2. 332 हैक्टर नहरी खातेदारी कृषि भूमि कालूराम के नाम से दर्ज है। इसी प्रकार **चक 11 एएमएस के खाता संख्या 11/39** के मु.न. 37 के किला नं. 1, 2,3 की 0.759 हैक्टर, किला नं. 8, 9, 10 की 0.759 हैक्टर कुल क्षेत्रफल 1.518 हैक्टर नहरी जिसमें से नहरी 1.443 हैक्टर गै.मु.रास्ता 0.075 हैक्टर कृषि भूमि प्रतिवादी सं. 1 कालूराम के नाम से दर्ज है में अकेले प्रतिवादी सं0 1 कालूराम के बजाय वादी छोटुराम व प्रतिवादी सं0 1 कालूराम, प्रतिवादी सं. 2 रमेश कुमार बहिस्सा बराबर 1/3–1/3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है। चूंकि वाद कृषि भूमि में से प्रतिवादीया सं0 3 ने अपना सम्पूर्ण हक हिस्सा वादी व प्रतिवादी सं0 1 व 2 के पक्ष में त्याग दिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्सों पर पंजीयन विभाग को पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व चूंकि कृषि भूमि बैंक के रहन है इसलिए रहन मुक्त होने के उपरान्त वादी छोटुराम व प्रतिवादी सं0 1 कालूराम प्रतिवादी सं. 2 रमेश कुमार के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 05.08.2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायाल की मुद्रा से जारी की गई।

5.8.19

(सुखाराम पिण्डेल)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
R.A.S.
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)
उपखण्ड अधिकारी

भादरा, जिला हनुमानगढ़